**उत्तर प्रदेश शासन**

**कृषि अनुभाग-5**

**संख्या-30/2022/2080659(1)/119/12-5002(002)/2/2021**

**लखनऊः: दिनांक:: 26 अप्रैल, 2022**

## शुद्धि-पत्र

शासनादेश संख्या-28/2022/2080659(1)/119/12-5002(002)/2/2021, दिनांक 25 अप्रैल, 2021 में अंकित निर्गत दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के स्थान पर दिनांक 25 अप्रैल, 2022 तथा के प्रस्तर-1 में उल्लिखित सारणी दूसरे नम्बर के कालम में अंकित वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधान के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्राविधान पढ़ा जाए।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-28/2022/2080659(1)/119/12-5002(002)/2/ 2021, दिनांक 25 अप्रैल, 2021 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

अमर चन्द्र
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4- निदेशक, सम्वर्ती सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
6- निदेशक, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in